



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 413]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 1985/भाद्र 7, 1907

No. 413]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 1985/BHADRA 7, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

अधिसूचना

का. आ. 635 (अ) :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाने हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ बहत्तरवां संशोधन) नियम, 1985 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय” के अधीन उप-शीर्षक “ग. ग्रामीण विकास विभाग” के अधीन,—

(i) प्रविष्टि 8 में से “ग्रामीण जन आपूर्ति (त्वरित ग्रामीण जन आपूर्ति के केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम को छोड़कर)” शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(ii) प्रविष्टि 8 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“8क. ग्रामीण जन प्रदाय”।

(ख) शीर्षक “निर्माण और आवास मंत्रालय” के अधीन, प्रविष्टि 25 में, “(इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय को सौंपी गई ग्रामीण जनप्रदाय की नोडल जिम्मेदारी नहीं है)” कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर “(ग्रामीण जनप्रदाय को छोड़कर जो ग्रामीण विकास विभाग को सौंपा गया है)” कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे।

जैल सिंह,
राष्ट्रपति

[सं. 74/2/22/85-मंत्रि.]

एन. आर. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 29th August 1985

NOTIFICATION

S.O. 635(E)—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 namely —

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and seventy-second Amendment) Rules, 1985

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 in the Second Schedule —

- (a) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (KRISHI AUR GRAMIN VIKAS MANTRALAYA)" under the sub-heading "C. DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (GRAMIN VIKAS VIBHAG)",—

(i) in entry 8, the words and brackets "rural water supply (excluding centrally sponsored scheme of accelerated rural supply)" shall be omitted;

(ii) after entry 8, the following entry shall be inserted, namely :—

8A. Rural water supply.;

- (b) under the heading "MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (NIRMAN AUR AWAS MANTRALAYA)", in entry 25, for the words and the brackets "(excluding nodal responsibility for rural water supply which is assigned to the Ministry of Rural Development)", the words and the brackets "(excluding rural water supply which is assigned to the Department of Rural Development)" shall be substituted.

ZAIL SINGH

President

[F. No. 74/2/22/85-Cab]
i R. K. PRASAD, Jt Secy